पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

फार्म नंबर –
निविदा फार्म का मूल्य रू. 1000.00
वि०वि० रसीद क्रमांक –
दिनांक –

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

(प्रपत्र "एक से प्रपत्र "चार तक)

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

–: विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था से संबंधित निविदा सूचना :–

रायपुर, दिनांक 15.06.2017

क्र0 195/विकास/निसू/2017

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु पंजीकृत ठेकेदार, फर्म से सीलबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर रू. 1000/- नगद भुगतान कर विश्वविद्यालय के विकास विभाग से कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं । अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsu.ac.in से प्राप्त की जा सकती है ।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि	–	दि0	30.06.2017	समय 03.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	–	दि0	03.07.2017	समय 03.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि (सुरक्षा व्यवस्था)	–	दि0	04.07.2017	समय अपरान्ह 03.00 बजे
निविदा खोलने की तिथि (सफाई व्यवस्था)	–	दि0	05.07.2017	समय अपरान्ह 03.00 बजे

टीप :– विश्वविद्यालय वेबसाइट के वेबसाइट www.prsu.ac.in से प्राप्त निविदा प्रपत्र रू0 1000/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही मान्य होगा।

कुलसचिव

नोट :– निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें ।

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

–: विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु विस्तृत निविदा :–

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पंजीकृत ठेकेदार/फर्म से सीलबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर रू. 1000/- नगद भुगतान कर विश्वविद्यालय के विकास विभाग से कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं । अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsu.ac.in से प्राप्त की जा सकती है ।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि	–	दि0	30.06.2017	समय 03.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	–	दि0	03.07.2017	समय 03.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि (सुरक्षा व्यवस्था)	–	दि0	04.07.2017	समय अपराह्न 03.00 बजे

टीप :– विश्वविद्यालय वेबसाइट के वेबसाइट www.prsu.ac.in से प्राप्त निविदा प्रपत्र रू0 1000/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही मान्य होगा।

किये जाने वाले कार्यों का विवरण

1. कार्य का विवरण :– विश्वविद्यालय परिसर में स्थित समस्त भवनों एवं छात्रावासों के सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य।
2. कार्य अवधि :– 01 वर्ष
3. पदनाम :–सुरक्षा गार्ड/गनमैन
4. किये जाने वाले कार्य की अवधि :– 24 घंटे
5. शिफ्ट :– 03 शिफ्ट में कार्य किया जाना होगा जिसमें । प्रति शिफ्ट 08 घंटे की होगी।
6. सुरक्षा गार्ड/गनमैन की संख्या :– प्रति शिफ्ट 23

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

—: विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पात्रता :—

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा भरने हेतु पात्रता का निर्धारणः—

क्र०	विवरण	पृ० क्र०
01	पेन नंबर (छायाप्रति संलग्न करें)	
02	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाण—पत्र	
03	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन	
04	साल्वेन्सी प्रमाण पत्र (न्यूनतम रू. दस लाख)	
05	भविष्य निधि प्रमाण पत्र कोड सहित	
06	ठेकेदार/फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र	
07	अनुभव प्रमाण पत्र/परफार्मेस सर्टीफिकेट	
08	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम	
09	एजेन्सी की वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षो में न्यूनतम पच्चीस लाख रूपये प्रतिवर्ष रहने की सी.ए.से प्रमाणित अंकेक्षण वित्तीय पत्रक	
10	पिछले 03 वर्ष का आयकर निर्धारण पत्रक	
11	वर्कमेन कम्फरमेशन पॉलिसी (जीवित)की छायाप्रति	
12	अमानत हेतु निर्धरित राशि रूपए पच्चास हजार की डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नाम से देय हो, संलग्न करें	
13	संस्था/फर्म का सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त	
14	आयकर भुगतान चालान की छायाप्रति 2016—17 का संलग्न करना अनिवार्य है।	
15	संस्था/फर्म के पक्ष में पुलिस मुख्यालय छ. ग. शासन से अनुज्ञप्ति का स्थायी जीवित पंजीयन की छायाप्रति	
16	कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 3 % सुरक्षा निधि वि. वि. कोष में जमा करना होगा।	

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

:–निविदा–प्रपत्र–:

प्रपत्र एक

प्रति,

कुलसचिव
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ० ग०)

महोदय,

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रायपुर) परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु बुलाई गई निविदा क्रमांक /विकास/निसू/2017, रायपुर, दिनांक –––––––––––– समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है । इस निविदा के संदर्भ में मेरा आवेदन प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा निविदा–प्रपत्र में तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करते हुए सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा अमानत की राशि रू० 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... जो .... बैंक का है तथा कुलसचिव/रजिस्ट्रार, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ० ग०) को देय है, संलग्न कर रहा हूँ ।

मुझे वर्तमान में संबंधित क्षेत्र एवं कार्य का निम्नानुसार अनुभव है :––

01. नाम व पता :––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––

02. यदि कोई पार्टनर हो तो उसका नाम एवं पता :––––––––––––––––––––––––––––––
यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो व्यक्तिगत ––––––––––––––––––––––––––––––
पंजीकृत प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की जावे ––––––––––––––––––––––––––––––
यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है तो
व्यक्तिगत भागिता–पत्र की नोटरी से सत्यापित
सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये ।

03. पूर्व कार्यो के अनुभव का विवरण का :——————————————
संबंधित संस्थान के नाम –पते एवं
परफॉरमेन्स रिपोर्ट सहित देवें (अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)।

04 वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मचारी आपकी :——————————————
ठेकेदारी में कार्यरत है ।

05 वर्तमान में जहां कार्य चल रहा हो, उस :——————————————
संस्थान का नाम व पता (समर्थन में पत्र/आदेश प्रति संलग्न की जावें)

06 सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लेबर लायसेंस :——————————————
का विवरण (लायसेंस के प्रमाण पत्र की छायाप्रति की जावें)

07 भविष्य निधि कोड नं. एवं वर्करमेन कम्फरमेशन :——————————————
पालिसी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावें)।

08 सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट :——————————————
(प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)

09. शासन द्वारा प्रदायित पेन नंबर एवं टिन :——————————————
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

10 साल्वेन्सी सर्टीफिकेट (न्यूनतम दस लाख :——————————————
प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर)।

11 सत्र 2016–17 में आयकर भुगतान के चालान की :——————————————
छायाप्रति संलग्न करें ।

12 संस्था/फर्म का सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री कौशल :——————————————
विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त छायाप्रति संलग्न करें ।

13 संस्था/फर्म के पक्ष में पुलिस मुख्यालय छ. ग. :——————————————
शासन से अनुज्ञप्ति का स्थायी जीवित पंजीयन की छायाप्रति

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

स्थान : .... हस्ताक्षर : ....
दिनांक : .... नाम : ....
दूरभाष नंबर : .... मुहर : ....
मोबाईल नंबर : ....
फैक्स नंबर : ....

टीप :– अभिलेखों की छायाप्रतियों को निविदाकार के द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है । स्वयं सत्यापन के हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना पूर्ण नाम एवं तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा ।

प्रपत्र दो

निविदा की विशेष शर्ते :—

01. निविदा निर्धारित तिथि तक स्पीडपोस्ट से आमंत्रित की जाती है । उसके पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा । डाक से होने वाले विलंब के लिए विश्वविद्यालय जवाबदेह नहीं होगा ।

02. केवल वही एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जाएगी जो निम्नानुसार पात्रता रखते हों :—

(अ) जिसमें शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थानों में न्यूनतम 03 वर्ष का सुरक्षा संबंधी कार्य किया जो तथा किसी एक कार्यादेश की न्यूनतम क्षमता 30 सुरक्षा कर्मी की हो । समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें ।

(ब) जिस एजेंसी के पास ऐसे दो ठेके वर्तमान में संचालित हो, जिसका पारिश्रमिक रू० 15 लाख प्रतिवर्ष से कम न हो। (इसके समर्थन में एजेंसी का कार्यादेश/अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

03. **जो सुरक्षा एजेंसी इस विश्वविद्यालय में कार्य कर चुकी है और वह निविदा में पूर्व जॉच योग्यता में पात्रता (Qualify) करती है तो उनके कार्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा उपरान्त ही उनके प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा । तदोपरान्त ही उनकी दर सूची को खोला जावेगा ।**

04. अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण जो कि विश्वविद्यालय द्वारा चाहा गया है, संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाएं निरस्त मानी जावेगी ।

05. निविदाएं निर्धारित तिथि को विश्वविद्यालय के विकास विभाग में समय 03.00 बजे खोली जावेगी । निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि /लिखित प्राधिकार होने पर उपस्थित हो सकते हैं ।

06. सुरक्षा एजेंसी को विवरण में समस्त शुल्क का विवरण जैसे समूह बीमा में अंश, ईपीएफ का अंश, सुरक्षा गार्ड/गनमैन/विभिन्न प्रकार के टैक्स/सेवा शुल्क तथा सुरक्षा एजेंसी का अपना सेवा शुल्क आदि देना होगा ।

07. सुरक्षा एजेंसी को शासन एवं विश्वविद्यालय के सभी नियम मानने होगें तथा उल्लंघन की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी ।

08. सुरक्षा एजेंसी में संलग्न सभी सुरक्षा कर्मियों का ईपीएफ, बीमा सुरक्षा एजेंसी के द्वारा होना अनिवार्य है, जिसकी सूची संलग्न करनी होगी तथा उक्त से संबंधित संस्थाओं में जमा राशि की रसीद की छायाप्रति जमा करनी होगी ।

09. सुरक्षा एजेंसी को शासन के द्वारा निर्धारित सभी करों का उल्लेख निविदा प्रपत्र में देना अनिवार्य है ।

10. सुरक्षा एजेंसी को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर का पालन करना होगा एवं किसी भी सुरक्षा कर्मी को सुरक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम देय नहीं होगा ।

11. यदि सुरक्षा एजेंसी का न्यूनतम दर प्राप्त होता है और शासन के करों तथा अन्य विवरण का उल्लेख नहीं है तो भी निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी ।

12. आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से चर्चा कर दरें एवं अन्य शर्ते निर्धारित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। चर्चा की तिथि विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार निर्धारित करेगा ।

13. विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने अथवा स्वीकार न करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

14. ऐसे निविदाकर्ता जो कि निविदा में विश्वविद्यालय की निर्धारित शर्तो को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, उन्हें चर्चा की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है ।

15. ऐसी निविदाएं जो सर्शत प्रस्तुत की गई है, स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

16. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेका प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत की राशि विश्वविद्यालय द्वारा ज़प्त कर ली जावेगी ।

17. निविदा के साथ अमानत की राशि रू0 50,000=00 (रू0 पचास हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है । यह राशि निविदा स्वीकृत होने की दशा में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकगी। अमानत राशि कुलसचिव, पं० रविशंकर शुक्ल वि० वि०, रायपुर के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगी।

18. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएं विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् एवं एक माह के अंदर लौटाई जा सकेगी ।
19. निविदाकर्ताओं का नियोजन के रूप में भविष्य निधि का स्वंय का कोड होना आवश्यक है ।
20. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गए दर राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिए ।
21. निविदाकर्ता को निविदा साथ संलग्न पेन नंबर या आयकर निर्धारण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
22. निविदाकर्ता निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से पं० रविशंकर शुक्ल वि० वि० परिसर का अवलोकन कर लें, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति, मात्रा एवं वृहदता की जानकारी हो सकें ।
23. यदि दो या दो से अधिक सुरक्षा एजेन्सीयों द्वारा समान दर एवं अन्य शुल्क समान होने पर विश्वविद्यालय में सुरक्षा कार्य करने के अनुभव वाली सुरक्षा एजेन्सी को विश्वविद्यालय प्रशासन प्राथमिकता दे सकता है ।
24. पिछले वित्तीय वर्ष के दरम्यान EPF एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन में जमा किये गये चालानों की छायाप्रति निविदाकर्ता संलग्न करेंगें ।
25. लेबर लायसेंस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
26. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
27. आकस्मिक दुर्घटना/धन–जन हानि/अन्य आपदा इत्यादि की स्थिति में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नही होगी । निविदाकर्ता/ठेकेदार अपने कर्मियों की समूह पालिसी की जिम्मेदारी स्वयं निर्वाह करें ।
28. सफल निविदाकार को कार्य आबंटन एवं सुरक्षा की रूपरेखा दर्शित करने वाली सामग्रियां तत्काल प्रस्तुत करनी होगी । समस्त सुरक्षा कर्मियों एवं गनमेन सुरक्षा अधिकारियों के नाम, पते (स्थायी/अस्थायी),टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराते हुए चरित्र इत्यादि का सत्याापन निविदाकार को करना होगा ।
29. कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं पुलिस वेरीफिकेशन स्थायी निवास के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रमाण पत्र द्वारा उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाए जाएगें । यह निविदाकार की जबावदेही होगी ।
30. किसी भी दिन निर्धारित तिथि को 2 प्रतिशत से अधिक सुरक्षा कर्मचारी अनुपस्थित नही रहेगें । अन्यथा हर व्यक्ति के नाम से रूपये 300/– प्रति दिन दण्ड राशि वेतन से कटौती की जावेगी । आवश्यकता होने पर आपातकाल में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था तत्काल निविदाकार के द्वारा करना अनिवार्य होगा ।
31. निविदा तीन पृथक–पृथक लिफाफे में अर्थात प्रथम लिफाफे में फी क्वालीफिकेशन द्वितीय लिफाफे में अमानत राशि तथा तृतीय लिफाफे में दर अनुसूची से संबंधित विषय अंकित करते हुए तीनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी निविदा ही मान्य की जावेगी । लिफाफे के उपर "**<u>सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निविदा तथा क्रमांक एवं दिनांक</u>**" अंकित करना अनिवार्य होगा ।
32. समस्त संलग्न छायाप्रतियां सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित न होने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जाएगी।
33. सुरक्षा ठेके की अनुमानित राशि 25 लाख वार्षिक आंकलित है।
34. सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन लापरवाही पूर्वक ड्यूटी करते पाये जाने पर अर्थदण्ड 5% कुलराशि के बिल में कटौती कर ली जावेगी।
35. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपतिजी का होगा।
36. संस्था/फर्म के पक्ष में पुलिस मुख्यालय छ0ग0 शासन के अनुज्ञप्ति का स्थायी जीवित पंजीयन होना चाहिए।
37. संस्था/फर्म का सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए ।
38. संस्था/फर्म का पिछले 03 वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर बैलेंश शीट न्यूनतम 25 लाख होने का सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।
39. पिछले 03 वित्तीय वर्षो का आयकर विभाग में जमा आयकर विवरणी की प्रति संलग्न करें ।
40. निविदाकर्ता द्वारा लिया जाने वाला एजेंसी सेवा शुल्क यह स्पष्ट करते हुए भरना अनिवार्य है कि उसके द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क किस प्रकार उचित है ।

मैंने उपरोक्त उल्लेखित नियमों एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढा है और उपरोक्त नियम एवं शर्तो से मैं सहमत हूं ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

–: विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु दर–अनुसूची :– प्रपत्र तीन

महोदय,

1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी निविदा सूचना............................ .... के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की गयी है जो सभी प्रकार के शुल्क सहित है।
2. मेरे/हमारे द्वारा अमानत राशि रूपये 50,000.00 (रू. पच्चास हजार मात्र) बैंक ड्रॉफ्ट कमांक .... दिनांक .... शाखा .... बैंक के माध्यम से जमा किया गया है, जो इस निविदा–प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है।
3. मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तावित है:–

क्र0	सुरक्षा कर्मियों का पदनाम	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (अंकों में)	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (शब्दों में)
01	सुरक्षा गार्ड प्रति शिफ्ट	रू0	रू0 ....
02	गनमैन प्रति शिफ्ट	रू0	रू0 ....
03	टैक्स/सेवा शुल्क	रू0	रू0 ....
04	सुरक्षा एजेन्सी का सेवा शुल्क	रू0	रू0 ....
05	सुरक्षाकर्मी के ईपीएफ कटौती अंशदान	रू0	रू0 ....
06	सुरक्षाकर्मी के ईएसआई कटौती अंशदान	रू0	रू0 ....

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत सेवा शुल्क निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरा गया है। वेतन एवं अन्य शुल्क जो समय–समय पर छ.ग. शासन द्वारा बनाये गये लेबर कानून एवं नियम के अनुसार प्रदत्त होने पर सहमत है एवं मेरे द्वारा छ.ग. श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित वेतन से कम वेतन का भुगतान नही किया जावेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

फर्म का नाम व पता ....

....

....

फर्म की सील/स्टॉम्प ....

फोन व मोबाईल नंबर ....

d:\lobhram\nivida farm 2016.doc

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

प्रपत्र चार

विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप :—

01. सुरक्षा ठेका सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा। इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर संबंधित फर्म का कार्य संतोषजन होने पर एक–एक वर्ष करके अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
02. सुरक्षा ठेकेदार/एजेंसी संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर व इसके सभी भवनों एवं कार्यालयीन संपत्ति व परिसर की दिन–रात सुरक्षा व्यवस्था करेगी ।
03. सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा व्यवस्था लगातार 'राउंड दी क्लांक' की जावेगी एवं संभावित होने वाली घटनाओं तथा चोरी, नुकसान एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा अविलंब सुरक्षा शाखा को दी जावेगी। प्रकरण में विश्वविद्यालय के इस नियुक्त अधिकारी/कमेटी द्वारा प्रकरण की जांच की जावेगी। जांच उपरांत सुरक्षा एजेंसी को उत्तरदायी पाए जाने पर विश्वविद्यालय को जो क्षति हुई है उसकी वसूली एजेंसी के देयक से की जावेगी ।
04. सुरक्षा ठेकेदार एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आने–जाने वाल समस्त प्रकार की सामग्री एवं बाहर जाने एवं अंदर आने वाले सभी वाहनों के रिकार्ड रखने की व्यवस्था करनी होगी ।
05. सुरक्षा एजेंसी स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, प्रोटेक्टिव गरमेट एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराएगी ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित हो। अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित सभी सुरक्षा कर्मचारी पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जारी पहचान पत्र (Menfity Card) धारण करेंगे, जिसमें उनका नाम, उम्र तथा स्थानीय पता (स्वयं का एवं अनुबंधकर्ता के दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ) दर्ज हो। पहचान–पत्र संस्थान द्वारा अधिकृत सुरक्षा व्यवस्थापक/कुलअनुशासक से प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है ।
06. सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी रखा जावेगा जो कि विश्वविद्यालय या उसके प्रतिनिधि द्वारा जांच किया जावेगा । प्रत्येक पाली में कार्यरत् कर्मचारियों की सूची माप प्रमाण कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व विश्वविद्यालय को सौंपना होगा ।
07. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख–रखाव भी सुनिश्चित किया जावेगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा ताकि आगजनी घटनाएं घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके ।
08. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय परिसर/भवन/प्रयोगशालाओं/स्टोर/प्लांट के अंदर या बाहर रखी गई सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे । यदि ऐसी कोई सामग्री असुरक्षित रूप से बाहर रखी हुई दिखाई देती है तो सुरक्षा एजेंसी द्वारा उसकी लिखित सूचना प्रबंधन को दी जावेगी ।
09. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अनाधिकृत एवं निशिद्ध व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके ।
10. सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मियों को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान कर प्रबंधन के प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ देयक पांच तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। देयक के साथ एजेंसी द्वारा भुगतान किये गये वेतन–पत्रक की छायाप्रति, सत्यापित उपस्थिति पत्र तथा गत माह सुरक्षा कर्मियों से काटे गए भविष्य निधि राशि शासकीय कोष में जमा किये चालान की छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगे अन्यथा एजेंसी का देयक अपूर्ण मानकर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी । यदि एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन अथवा किसी कर्मचारी को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कर्मी को ठेकेदार की ओर से सीधे भुगतान कर दिया जाएगा एवं एजेंसी से उक्त राशि वसूल की जाएगी । इस प्रकार श्रम कानूनों के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित औपचारिकताऍ पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा ।

11. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात सुरक्षा ठेका निरस्त कर दिया जाएगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी ।

12. सुरक्षा एजेंसी को रिकार्ड रखने, बैठने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु प्रशासन विभाग द्वारा स्थान उपलब्ध कराएगा ।

13. ठेके के दौरान सुरक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा एजेंसी में कार्य पर नहीं ले सकेगी ।

14. सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व विश्वविद्यालय प्रषासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने पर अथवा प्रशासन द्वारा सूचना दिये जाने पर एजेंसी द्वारा तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जाएगा ।

15. सुरक्षा एजेंसी को यह अधिकार होगा कि वह मेनगेट से आने-जाने वाले वाहन, प्रबंधन के कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है एवं संयंत्र, गोदाम, भवनों के परिसर में भी आवश्यकतानुसार तलाशी ली जा सकती हैं ।

16. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स बैंक एकाउन्ट के माध्यम से देगी । ये भुगतान श्रमायुक्त/जिलाध्यक्ष द्वारा न्यूनतम वेतन से कम नहीं होंगे । ईपीएफ, अंशदान एवं कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधओं के लिए र[illegible] राशि बिल से काटकर विश्वविद्यालय द्वारा जमा की जा सकेगी । प्रबंधन पक्ष वेतन एवं अन्य एलाउंस का भुगतान निर्धारित काउन्टर से एजेंसी प्रतिनिधि के समक्ष कर सकेगा ।

17. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे- फैक्ट्री एक्ट, श्रम संविदा अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का सुरक्षा कर्मचारियों के लिए पालन करें यदि दण्ड निर्धारित किया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वे सुरक्षा एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान से इस प्रकार की क्षति को समायोजित किया जावेगा।

18. सुरक्षा एजेंसी कर्मचारियों के लिए निम्न अर्हताएँ निर्धारित की जाती है- सुरक्षा अधिकारी एन.सी.सी. सुबेदार या उससे वरिष्ठ अथवा रिटायर्ड पुलिस एस.आई. अथवा समकक्ष अथवा औद्योगिक संस्थान में सुरक्षा पर्यवेक्षक का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला हो । साथ ही नियोक्ता का मूलतः डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा । शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम एच.एस.एस.सी. उत्तीर्ण हो । सुरक्षा पर्यवेक्षक औद्योगिक सुरक्षा का पर्यवेक्षक या समकक्ष कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ एच.एस.एस.सी. पास हो ।

19. सुरक्षा एजेंसी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा और न ही ऐसी कोई गतिविधि उनके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित की जावेगी ।

20. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेंसी उत्तरदायी होगी । किसी भी स्थिति में सुरक्षाकर्मी एक दिन में लगातार दो शिफ्टों में कार्य नहीं करेगा । यह सुनिश्चित करने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी अन्यथा एजेंसी का भुगतान रोककर कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा ।

21. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय-समय पर निर्देश दिया जावेगा जिसका सुरक्षा एजेंसी के द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा ।

22. सुरक्षा एजेंसी प्रबंध की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार समय प्रबंधन एवं आफिस रिकार्ड आदि रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

23. सुरक्षा एजेंसी डेली रिर्पोट तैयार करेगी एवं उस रिर्पोट को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

24. विश्वविद्यालय प्रबंधन किसी भी प्रकार की सुरक्षा एजेंसी को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी । सुरक्षा एजेंसी स्वयं व्यवस्था करेगी ।

25. सुरक्षा एजेंसी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को सुरक्षा ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा ।

26. सुरक्षा एजेंसी को अपने कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, [illegible] कार्ड आदि देने होगें एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेंसी को स्वयं ही रखना होगा । जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी । निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे ।

27. विश्वविद्यालय प्रबंध के परिसर में धुम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा। सुरक्षा एजेंसी दोषी सुरक्षाकर्मी को तत्काल विष्वविद्यालय की सुरक्षा सेवा से हटा देगी।

28. सुरक्षा एजेंसी अपने कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई कटौती अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका संपूर्ण अधिकार एवं रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड प्रबंधन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

29. निविदाकर्ता उनके द्वारा दी गई दरों को संलग्न प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें ।

अनुमानित सुरक्षा कर्मियों की संख्या जो निम्नानुसार निर्धारित की गई है, यह संख्या विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय–समय पर घटाई–बढ़ाई जा सकती है । निविदाकर्ता अपनी दरें एवं सर्विस चार्जेस का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में ही करें ।

पद नाम	**शिफ्ट**		
	प्रथम शिफ्ट	द्वितीय शिफ्ट	तृतीय शिफ्ट
सुरक्षा गार्ड/गनमेन	23	23	23

30. यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं सुरक्षा एजेंसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा । माननीय कुलपतिजी द्वारा लिया गया निर्णय सुरक्षा एजेंसी एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन को मान्य एवं बंधनकारी होगा ।

31. (अ) प्रबंधन द्वारा दिये गये निर्देशों, समय–सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेंसी को सुरक्षा कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा ।

नियोजित कामगारों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । इन कामगारों की न्यूनतम उंचाई 170 से.मी. (बिना जूता पहने) तथा न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम या उम्र एवं उंचाई के अनुपातिक होना चाहिए । इन जवानों को हिंदी एवं अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए । इन्हें चिकित्सकीय रूप स्वस्थ्य होने का प्रमाण पंजीकृत चिकित्सक/शासकीय अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा इनको जारी पहचान पत्र अनुबंध आरंभ होने के साथ–साथ संस्थान में इनसे संबंधित निम्न जानकारियां जमा करना होगा :––

01. कामगार का पूरा नाम
02. वर्तमान स्थायी पता
03. शैक्षणिक योग्यता
04. सक्षम अधिकारी द्वारा अद्यतन जारी चरित्र प्रमाण पत्र
05. पासपोर्ट आकार के 03 फोटोग्राफ

(ब) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्ण अनुशासित रहें । एजेंसी के कर्मचारियों की लापरवाही से विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेंसी से की जावेगी । इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेंसी से ली जावेगी । इस संबंध में माननीय कुलपतिजी का निर्णय अंतिम होगा ।

(स) एजेंसी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लापरवाहीपूर्वक किये जाने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रकरण के गुण–दोष को ध्यान में रखते हुए एजेंसी की सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी तथा एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राषि राजसात कर ली जावेगी अथवा एक माह का नोटिस देकर यह ठेका समाप्त कर दिया जावेगा । ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर लिया जाएगा । इस संबंध में कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा ।

32. विश्वविद्यालय प्रबंधन का यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त सेंटर हेतु सुरक्षा व्यवस्था का ठेका एक ही अथवा विभिन्न सुरक्षा एजेंसी को आवंटित करें ।

33. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जो शर्ते, नियम, ठेका, अवधि, सुरक्षा कर्मियों की संख्या आदि में किए गए संशोधन को निविदाकार द्वारा मान्य करना होगा ।

34. विश्वविद्यालय परिसर में रात्रि में दो सशस्त्र सुरक्षा कर्मी (आर्म्ड) लगातार गश्त करेंगे तथा अन्य सुरक्षा कर्मी निश्चित स्थान पर टार्च, लाठी एवं सीटी से लैस होकर ड्यूटी करेंगे । उक्त सामग्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा ।

सुरक्षा ठेके की उक्त प्रावधान क्रमांक 01 से 34 के तहत ही सुरक्षा एजेंसी का ठेका मान्य होगा ।

कुलसचिव
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ०ग०)